



Neutral Citation No-2026:AHC:3969

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4721 वर्ष 2025

महताब अहमद याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मोहित वर्मा, सौरभ कुमार जायसवाल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रार्थना के साथ का उपयोग किया है: -

"A. प्रतिपक्षी संख्या-2 को यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9A(2) के तहत केस संख्या-249 (मेहरुनिशा बनाम रहमतुलनिशा) का फैसला करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें, जो निर्धारित अवधि के भीतर प्रतिपक्षी संख्या-2 के समक्ष लंबित है।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 9ए(2) के तहत कार्यवाही में प्रतिपक्षी है जो 1992 से लंबित है। दोनों पक्ष पहले ही उपरोक्त कार्यवाही में उपस्थित हो चुके हैं और मामला अंतिम निर्णय के लिए तैयार है।
4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त मामले के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है।



5. इस विवेचन में, जैसा कि उपर्युक्त है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, चकबंदी अधिकारी (प्रतिपक्षी संख्या-2) को निर्देश देकर, प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटान करना उचित समझता है जिसके समक्ष उपरोक्त मामला निपटान के लिए लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से, अधिमानतः, निर्णय लेने के लिए।

6. यह उम्मीद की जाती है कि यह कानून के अनुसार, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, एक तर्कसंगत और आख्यापक आदेश द्वारा तय किया जाना चाहिए।

7. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 7, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)